

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत

पत्रांक:- 358(1-7)/एस0टी0/मूल्य सूची/2018

दिनांक :- 31. 07. 2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 यथासंशोधित दिनांक 28 मई, 2013 के नियम-4(1) के अन्तर्गत जनपद में अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु दिनांक 01.08.2018 से प्रभावी होने वाली सर्किल दर सूची के सम्बन्ध में जनपद बागपत के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, उप निबन्धक एवं अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन की आख्या के आधार पर विगत एक वर्ष में हुए आर्थिक परिवर्तनों, रियल एस्टेट में जारी मन्दी, अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय में निवेशकों की अरुचि तथा बाजारी मूल्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व हित एवं जनहित में वर्ष दिनांक 01.08.2016 को जारी जनपद बागपत की सर्किल दर सूची को ही उसके समस्त प्राविधानों सहित दिनांक 01.08.2018 से अगले एक वर्ष के लिए लागू किया जाता है।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
कलेक्टर/जिलाधिकारी,
बागपत।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. आयुक्त स्टाम्प, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
3. उप महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ वृत्त मेरठ।
4. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), बागपत।
5. सहायक आयुक्त स्टाम्प, बागपत।
6. उप जिलाधिकारी बागपत/बडौत/खेकड़ा।
7. उप निबन्धक बागपत/बडौत/खेकड़ा।


कलेक्टर/जिलाधिकारी,
बागपत।